4124 vide 4195
16/8/13 20/8/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद संख्या–11/2013–14 सन् 2013 कुर्बान अली नदाफ बनाम हैदर अली।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत वाद में कुर्बान अली नदाफ, पिता–मो0 ईसराईल मुस्तौफा, ग्राम–बरियौल, थाना–कमतौल अंचल–केवटी, जिला–दरभंगा आवेदक तथा हैदर अली, पिता–मुबारक अली हाल सरपंच ग्राम–पंचायत राज बरियौल, थाना–कमतौल अंचल–केवटी, जिला–दरभंगा विपक्षी है और विवाद के अन्तर्गत इस वाद में निम्न ब्योरे की भूमि है:– मौजा थाना नं0 खाता खेसरा रकवा बरियौल 316 707 2120 नया / 1939 पुराना मी0 13 धुर दखिन पश्चिम से अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा दिनांक–04.04.013 को दाखिल वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई तथा विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निबंधित सूचना दिनांक–11.04.013 को निर्गत किया गया। आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र संख्या–131 दिनांक–04.04.013 समक्ष लेख्य प्रमाणक श्री एस0 कुमार अधिवक्ता से समर्थित करते हुए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित न्याय शुल्क फ्रैकिंग मशीन नं0–3355 पर दिनांक– 04.04.013 को जमा कर दाखिल किया है। यह भी विदित होता है कि विपक्षी ने सूचना पाकर कार्रवाई में भाग लिया है तथा अपनी ओर से लिखित बयान तहरीर दाखिल किया है जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुनते हुए इस वाद की विधिवत् सुनवाई दिनांक–03.07.013 को पूर्ण की गई है। उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे का अवलोकन किया। विदित होता है कि आवेदक का दावा है कि पुराना खाता नं0–604 खेसरा नं0–1292 एवं 1939 से नया रिविजनल खेसरा नं0–2120 कायम हुआ है तथा पुराना खेसरा नं0–1292 अब्दुल रसीद नदाफ की भूमि थी जिसे अब्दुल रसीद नदाफ ने वर्ष 1972 में आवेदक की माँ बीबी लाडो को 18 धुर अन्य भूमि के साथ जरसेमन भुगतान पाकर केवाला कर दिया तथा दखल कब्जा दे दिया। उक्त खेसरा 1292 के सटे पूरब खेसरा नं0–1939 था जो पूर्व में गढ़ा था। आवेदक के दावे के अनुसार	

14/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	मो0–लाडो वो0 मो0 इसराईल ने उस गढ़ा को भरते–भरते लगभग 17 धुर भूमि को अपने खेसरा नं0–1292 में मिला लिया और उसपर मकान भी बनया। आवेदक का यह भी कहना है कि रीवीजनल सर्वे अमलागन की गलती से नया खतियान खाता नं0–707 खेसरा नं0–1220 बीबी सायदा जौजे–मो0 मोशीम के नाम खाता खुल गया, जबकि बीबी सायदा को कभी भी दखल कब्जा खेसरा नं0–2120 पर नहीं रहा। तदुपरान्त इन्होंने एक हकियत वाद सं0–4890/91 भू–बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया जो अभी लंबित है। इसी बीच विपक्षी ने एक अन्य व्यक्ति मोशीम नदाफ जिसे खेसरा सं0–2120 नया से कोई सरोकार नहीं था से एक केवाला अपने संबंधी समाबानो के नाम लिखवा लिया तथा उक्त केवाला में नया खेसरा 2120 पुराना 1939 वो 1992 रकवा–01 कट्ठा 05 धुर दर्ज करा लिया वो उसके आधार पर आवेदक के खेसरा नं0–2120 जो पुराना खेसरा नं0–1939 से बना है के प्रश्नगत (विवादित) 13 धुर आठ कनवा जमीन कब्जा करने के नीयत से मकान में ताला बन्द कर दिया, जबकि केवाला दिनांक–30.07.11 के आधार पर विपक्षी को कोई अधिकार हासिल नहीं हुआ। आवेदक ने अपने वाद पत्र में निम्नांकित अनूतोष की माँग न्यायालय से किया है:– (1) अदालत से यह हुकुम फरमाया जावे कि विवादित जायदाद पर फिदवी आवेदक का अधिकार है वो विपक्षी को दिनांक–30.07.11 के केवाला के आधार पर कोई अख्तीयार हासिल नहीं है। (2) यह भी फरमाया जावे कि विपक्षी द्वारा अवैध बेदखली के कारण आवेदक को ताला खोल कर दखल कब्जा दिला दिया जाय। विपक्षी ने आवेदक के **entire allegation** को **false and Concocted** कहा है तथा उल्लेख किया है कि विवादित भूमि सहित अन्य भूमि ननकिर नदाफ के **ancestor** ने **acquire** किया था ननकिर नदाफ की पुत्री बीबी सैरा, पति–मो0 मोशीम नदाफ थे। ननकिर नदाफ के मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि पर **exclusively Possession** बीबी सैरा को प्राप्त हुआ। बीबी सैरा के पति–मो0 मोशीम नदाफ थे अपने आवश्यकता के लिए दिनांक–30.07.11 को समाबानो को केवाला कर दिया जिससे विपक्षी को कोई **Concern** नहीं है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से विदित होता है कि आवेदक के **grievance** का निदान **Competent Civil Court** के **Jurisdiction** अन्तर्गत संभव है। साथ हीं आवेदक ने इस वाद के लिए वास्तविक फरीक बीबी समाबानो को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि इस वाद के लिए समाबानो हीं आवश्यक पक्षकार है। चूँकि विपक्षी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कोई सरोकार नहीं होना कहा है। इस प्रकार इस वाद में पक्षदोष भी दृष्टिगोचर होता है।	

14/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सुनने से यह भी विदित होता है कि स्वंय आवेदक ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि इन्होंने एक हकियत वाद सं0–4890/91 भू–बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया हैं जिसकी पुष्टि उक्त वाद पत्र के अवलोकन से भी होती है जिसमें आवेदक कुर्बान अली तथा विपक्षी सायरा पति–मो0 मोशीम नदाफ है जो अभी भी लंबित है। सुनने से विदित होता है कि प्रश्नगत मामले के लिए भू–बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में हकियत वाद लंबित है, ऐसी स्थिति में इस वाद अन्तर्गत कोई भी अनूतोष प्राप्त करने के अधिकारी आवेदक नहीं है और नहीं इस स्तर पर कोई भी आदेश पारित किया जाना संभव है। अतः उपर्युक्त विश्लेषणोपरान्त इस वाद की कार्रवाई को खारिज किया जाता है। अभिलेख संचिकास्त करें। लेखापित एवं शुद्धित 14/04/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा। 14/04/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा।	